भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2532
दिनांक 05 अगस्त, 2025 /14 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

पुडुचेरी के ऑरोविले में बसे विदेशी

†2532. श्री वी. वैथिलिंगम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पुडुचेरी के निकट ऑरोविले टॉउनशिप में कई विदेशी बस गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन सभी के पास भारत में रहने के लिए वैध वीज़ा है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या उनमें से किसी ने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) ऑरोविले आने वाले विदेशी X-2 वीज़ा पर भारत में प्रवेश करते हैं। 18.07.2025 तक, विभिन्न देशों के 1571 विदेशी ऑरोविले में निवासी के रूप में रह रहे हैं।

(ख) विदेशी लोग ऑरोविले की यात्रा के लिए वैध और उचित वीज़ा पर प्रवेश करते हैं और जो भी व्यक्ति निर्धारित समय से अधिक समय तक रुकता है या वीज़ा मानदंडों का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) पुडुचेरी से कुल 8 नागरिकता आवेदनों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है, पुडुचेरी से 15 नागरिकता आवेदन लंबित हैं, और पुडुचेरी से 5 नागरिकता आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है।

****